



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-06102026-276855
CG-RJ-E-06102026-276855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5240]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 5240]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

रेल मंत्रालय

[(उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 5 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5450(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य में **अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना** (विशेष रेल परियोजना) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषण करती है :

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा :

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी- चित्तौड़गढ़, जिला- चित्तौड़गढ़, राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा :

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

भारतीय रेल्वे विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के लिए अवासाधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :-

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	अवास रकबा (वर्ग मी. में)	अवास रकबा (हैक्टेयर में)
1	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	धनेतकलां	33	निजी	1228	0.1228
कुल योग						1228	0.1228

[फा.सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 5th October, 2026

S.O. 5450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008(11 of 2008) and the Railway Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the said Act. The central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of namely: " **Ajmer – Chanderiya (178.28 Km.) Doubling Project (Special Railway Project)** in Ajmer Division State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional officer, Chittaurgarh, District Chittaurgarh**, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority, shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) if section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely "Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)" of Ajmer Division of North Western Railway".

Sr. No.	Name of Disritct	Name of Tehsil	Village Name	Survey No./Khasra No.	Type of Land	Acquired Area (in Sq. Mtr.)	Acquired Area (in Hact.)
1	Chittaurgarh	Chittaurgarh	Dhanet Kalan	33	Private	1228	0.1228
TOTAL						1228	0.1228

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)